



# Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

---

CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 3, 2012  
(PHALGUNA 13, 1933 SAKA)

---

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

**Notification**

The 3rd March, 2012

**No. 14—HLA of 2012/15.**—The Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :

**Bill No. 14—HLA of 2012**

**THE HARYANA MURRAH BUFFALO AND OTHER MILCH  
ANIMAL BREED (PRESERVATION AND DEVELOPMENT  
OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRY DEVELOPMENT  
SECTOR) AMENDMENT BILL, 2012**

**A**

**BILL**

*further to amend the Haryana Murrah Buffalo and Other  
Milch Animal Breed (Preservation and Development of  
Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act, 2001.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows : —

1. This Act may be called the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Act, 2012. Short title

Amendment of  
section 2 of  
Haryana Act 6  
of 2001

2. For clause (h) of section 2 of the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act, 2001, the following clause shall be substituted, namely: –

“(h) ‘milk plant’ means a plant owned by any person or manufacturer registered under the Milk and Milk Product Order, 1992, or any other regulations formulated in this regard, from time to time, of the Central Government and operating within the limits of the State of Haryana but excluding milk chilling centres supplying milk to the milk plants within the State of Haryana and paying cess on the quantity of milk supplied by them to the said plants subject to the production of authentic proof of such payment; and a plant owned by the Government or Central Government engaged in imparting research and educational facilities to the students of any Research Institution/University.”.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Whereas under the provisions of the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed Act, 2001, every milk plant registered under the provisions of Milk and Milk Products Order, 1992 in the State is required to pay cess @ 10 paise per litre/per day of milk on its registered capacity. The Milk Plants operated by any Research Institutions/Universities owned by the State/Central Government engaged primarily in research activities or imparting education are also required to pay cess on milk based on their registered capacity. Since such research/educational institutions are not commercial entities, the State Government with a view to promote education and research carried out by such institutions in the field of livestock production, has decided to exempt such research/educational institutions owned by State/Central Government from payment of cess on milk processed in their milk plant.

Hence, this amendment.

**PARAMVIR SINGH.**  
Animal Husbandry Minister, Haryana.

Chandigarh :  
The 3rd March, 2012.

**SUMIT KUMAR,**  
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद ]

2012 का विधेयक संख्या 14-एच० एल० ए०

हरियाणा मुराह भैंस तथा अन्य दुधारु पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) संशोधन विधेयक, 2012

हरियाणा मुराह भैंस तथा अन्य दुधारु पशु नस्ल

(पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का

परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम,

2001 को आगे संशोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संघटन नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा मुराह भैंस तथा अन्य दुधारु पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) संशोधन अधिनियम, 2001, कहा जा सकता है

2001 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा मुराह भैंस तथा अन्य दुधारु पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001 की धारा 2 के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ज) ‘दुग्ध प्लांट’ से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 या समय-समय पर इस संबंध में बनाए गए किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति या विनिर्माता द्वारा स्वामित्वाधीन तथा हरियाणा राज्य की सीमाओं के भीतर क्रियाशील कोई प्लांट किन्तु उनमें हरियाणा राज्य के भीतर दुग्ध प्लांटों को दुग्ध की आपूर्ति करने वाले दुग्ध द्रुतशीतन केन्द्र तथा ऐसे भुगतान के प्रामाणिक सबूत की प्रस्तुति के अधधीन उक्त प्लांटों को उन द्वारा आपूर्ति किए गए दुग्ध की मात्रा पर उपकर का भुगतान करने वाले, शामिल नहीं हैं; तथा किसी अनुसंधान संस्था विश्वविद्यालय के छात्रों को अनुसंधान तथा शैक्षणिक सुविधाएं देने में लगा सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन कोई प्लांट।”।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि हरियाणा मुराह मैस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल सुधार अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत किये प्रावधान अनुसार दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के अन्तर्गत राज्य में पंजीकृत मिल्क प्लांटों को 10 पैसे प्रतिलीटर प्रतिदिन की दर से पंजीकृत क्षमता पर उपकर का भुगतान करना होता है। राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन अनुसंधान संस्थाएं/विश्वविद्यालय जो मुख्यतः अनुसंधान कार्यों में संलिप्त है या शिक्षा प्रदान करते हैं, द्वारा चालित मिल्क प्लांटों को भी उनकी पंजीकृत क्षमता के आधार पर उपकर देना होता है। क्योंकि ऐसी अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थाएं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं हैं, अतः राज्य सरकार ने पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में शिक्षा व अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिये ऐसी राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थाओं को उनके मिल्क प्लांटों द्वारा प्रयुक्त दुग्ध को उपकर से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

अतः यह संशोधन प्रस्तुत है।

परमवीर सिंह,  
पशु पालन मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :  
3 मार्च, 2012

सुमित कुमार,  
सचिव।